

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : मानव विकास एवं कल्याण संस्था
2. संस्था का पता : शहर नं० ५ लोक भान्य तिलक नगर सकलदीहा रोड
जिला-बन्दीली
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समूही भारत दर्श
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :-

वह भारतीय जो बालिंग हो, संस्था के उद्देश्यों के प्रति निष्ठा रखता हो, संस्था के उद्देश्यों के प्रति आस्थायान हो, ऐसा व्यक्ति संस्था की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। उनकी सदस्यता निम्नवत् होगी।

- क. आजीवन सदस्य** : जो व्यक्ति संसद्धा के कोष में कम से कम 5000 / करोड़ नकद धनराशि या उत्तरी अधिक मूल्य की घल-अघल सम्पत्ति एक बार में देगे, वे संसद्धा के आजीवन सदस्य भाने जायेगे।



- ग. सामान्य सदस्य विभाग की देखते हुए यहाँ पर्याप्त जो संख्या को 300/- रुपये नकद वार्षिक सदस्यता शुल्क को रूप में देगे हो संख्या के सामान्य सदस्य माने जायेगें।

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| घ. संस्थापक सदस्य | : | ऐसे व्यक्ति जो संस्था की स्थापना के समय से ही अपने लग, मन, धन से पूर्ण संलग्नता देते आ रहे होंगे, वे संस्था के संस्थापक सदस्य होंगे। |
| ड. संरक्षक सदस्य | : | संस्था के प्रबन्ध समिति के दो तिहाई बहुमत से संरक्षक सदस्य मनोनीत कर दिये जायेंगे। |

四

Mr. Thompson
Mr. Sargent, Narrator

1. उदान्धरसमिति इस नियम को अवश्यकतानुसार लिखित कर सकती है तथा सदस्य बनने के द्वयुक्त व्यक्ति की मादनाओं की जीव पहुताल करके उन्हें सदस्य बनाने की स्थीकृति दे सकती है।
 2. सदस्यता के लिए लिखित अवैदन देने तथा कार्यकारिणी समिति द्वारा ~~अनुमोदित~~ होने पर सदस्यता प्राप्त करें।

(2)

५. सदस्यता की समाप्ति

- : निम्न तथ्यों के आधार पर संस्था की सदस्यता समाप्त समझी जायेगी।
१. किसी सदस्य के मृत्यु होने पर।
 २. शारिक सदस्यता शुल्क समय पर अदा न करने पर।
 ३. किसी सदस्य के पांगल या दिवालिया घोषित होने पर।
 ४. किसी सदस्य के न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
 ५. दिना सूचना या कारण बताये लगातार तीन बैठकों में अनुपरिधान रहने पर।
 ६. किसी सदस्य के दबंग लिखित त्याग पत्र देने पर।
 ७. किसी सदस्य के संस्था के विरुद्ध हानिकारक कार्य करने एवं उसकी मर्यादा के प्रतिकूल आचरण करने पर।
- : संस्था के निम्न दो अंग होंगे।
- (अ) साधारण सभा
- (ब) प्रबन्धकारिणी समिति

६. संस्था के अंग

७. साधारण सभा

(क) गठन



(ख) बैठकें

(ग) सूचना अधिक

—Mr. Ram Singh —
Mr. Singh —
—Mr. Singh —

Ram Singh

Singh Singh

सदस्य प्रतिलिपि

इस दस्तावेज़ निष्पाक
मन नीतिहासी एवं चिह्न
साधारणी सभा वाराषी

२८.२०२०

संस्था के सभी वर्ग के सदस्यों को मिलाकर नियमावली के कालग्रन्थ चार के अनुसार साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम एक बार तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय अधिकृत व्यक्ति की अनुमति से बुलायी जा सकती है।

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना बैठक लिये से 10 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना बैठक लिये से 3 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी। सूचना निम्न प्रकार से दी जायेगी—

संस्था के सभी सदस्यों के पास नोटिस अथवा प्रतियोगी घुमाकर तथा ऐसी नोटिस या सूचना की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप सदस्यों का हसताक्षर प्राप्त करना।

डाक द्वारा डाक प्रमाण पत्र के अन्तर्गत नोटिस भेजकर।

ई-मेल द्वारा जिसका प्रमाण उपलब्ध हो सके।

प्राप्ति कर्ता
संस्था कर्ता

(घ) गणपूर्ति

: संसद्या के सभी प्रकार के सदस्यों के कम से कम दो तिहाई ($2/3$) उपरिक्षिति में सभी बैठकों की गणपूर्ति पूर्ण मानी जायेगी।

(ङ.) वार्षिक अधिवेशनः-

संसद्या का वार्षिक अधिवेशन 31 मार्च को हर वर्ष हुआ करेगी।

(च) साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्यः-

1. संसद्या की वार्षिक बैठक में संसद्या के विगत वर्ष के बजट एवं कार्य-कलापों पर विचार विभर्ता करना एवं आगामी वर्ष हेतु बजट का अनुमोदन करना।
- 2.. संसद्या के नियमों एवं विनियमों में नियमानुसार संशोधन एवं परिवर्तन हेतु रसीकृति प्रदान करना।
3. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव करना।
4. संसद्या के हित में अन्य कार्यक्रमों का निर्धारण करना।
5. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव पर विचार कर उसी रसीकृति देना।

8. प्रबन्धकारिणी समितिः-

(क) गठन



(ख) बैठकों

(ग) सूचना अवधि

साधारण सभा को $2/3$ बहुमत से प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक / महामंत्री, उपप्रबन्धक / मंत्री, कोषाध्यक्ष के अलावा 6 प्रबन्ध समिति के सदस्य होंगे। प्रबन्धसमिति की सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम दो बार तथा विशेष आवश्यक बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय अधिकृत सदस्य अर्थात् प्रबन्धक एवं उपप्रबन्धक की अनुमति से बुलायी जा सकती है। प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 10 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना बैठक से 1 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

(घ) गणपूर्ति

प्रबन्धकारिणी समिति के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों की कम से कम $2/3$ उपरिक्षिति में सभी बैठकों की गणपूर्ति पूर्ण मानी जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति में किसी भी पदाधिकारी या सदस्य का रद्दान रिक्त होने पर साधारण सभा के बहुमत से शेष अवधि के लिए साधारण सभा के

(ङ.) रिक्त स्थानों की पूर्तिः-

सत्य प्रतिलिपि

संसदीय समिति का नियमित अधिकार एवं विवर
संसदीय समिति का नियमित अधिकार
दिनांक: २०२३

संसदीय समिति का नियमित अधिकार
दिनांक: २०२३

सदस्यों में से किसी भी योग्य व्यक्ति का चुनाव कर लिया जायेगा।

(८) प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. संस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु उपसमितियों का गठन करना।
2. संस्था के आय-व्यय एवं वार्षिक बजट पर विचार करना तथा उसे स्वीकृति देना।
3. संस्था के लिए चल-अचल सम्पत्तियों की व्यवस्था करना।
4. संस्था के लिए अनुदान, दान, घन्दा, उपहार, सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं आदि से प्राप्त करना।
5. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति, विमुक्ति आदि को लिए निर्णय लेना।
6. साधारण सभा में हिये गये निर्णयों पर उधित कार्यवाही करना।
7. आय-व्यय का रख-रखाव एवं वार्षिक हिसाब तैयार करना।
8. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो संस्था के हित में हो।

(९) कार्यकाल :-

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल सामान्य रूप से 5 वर्ष का होगा।

१०. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

अध्यक्षः

1. संस्था के साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठक में की गयी कार्यवाही को पढ़कर उस पर अपना हस्ताक्षर करना।
3. किसी भी विषय पर सदस्यों का मत एक समान न होने पर अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना।
4. बैठके बुलाने हेतु तारिखों का अनुमोदन तथा उसमें उधित परिवर्तन करना।
5. संस्था की समस्त प्रवृत्तियों पर दृष्टि रखना तथा उनका निर्देशन करना।
6. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार नान्य हो।

अध्यक्ष की अनुपरिधति में उनके द्वारा दिये गये कार्यभार के अनुसार

प्रबन्धकारिणी समिति कार्यालय

सिलान कार्यालय

सलिल लिपि

इस दस्तावेज का निवापन
सभी संस्थानीय एवं विद्युत
सामग्री सम्पर्क बाधाएवं

प्रबन्धक / महामंत्री :-

1. साधारण समा तथा कार्यकारिणी समिति की बैठकों को नियमानुसार आहूत करना एवं बैठकों की कार्यवाही लिखाना।
 2. साधारण समा द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन तथा डिसिप्लिन आदि करना जिसकी स्वीकृति कार्यकारिणी समिति की बैठक से प्राप्त करना।
 3. संसद से सम्बन्धित समस्त अग्रिमेखी व कागजात चल रख—रखाव करना तथा संसद की सम्पत्तियों एवं धनराशियों के रख—रखाव का उचित प्रबन्ध करना।
 4. संसद के उद्देश्यों एवं हितों की पूर्ति के लिए सभी प्रकार के अनुदान, चम्दे, दान आदि प्राप्त करना।
 5. प्रैतिनिक कर्मचारियों के वेतन, वेतनदृष्टि तथा अन्य देय धनराशि और संसद के समस्त आय—चय एवं धनराशियों तथा सम्पत्तियों के रख—रखाव से सम्बन्धित भुगतान की स्वीकृति प्रदान करना।
 6. आय—चय का वार्षिक विवरण तैयार करना तथा आडिट कराना।
 7. संसद की ओर से पत्र व्यवहार करना।
 8. संसद से सम्बन्धित हर प्रकार की कानूनी अदालती कार्यवाही प्रबन्धक के माध्यम से की जायेगी।
 9. प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा समय—समय पर प्रदत्त समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना।
 10. सामान्य एवं विशेष आवश्यक बैठकें बुलाना, कोरम के अधाव में बैठकें स्थगित करना।
 11. संसद के आकस्मिक कार्य हेतु 2000/-रुपये तक नकद अपने पास रखना तथा आवश्यकता पड़ने पर खाच करना।
- प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उनके समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

उपप्रबन्धक / मंत्री:-कोषाध्यक्षः—

1. संसद की निधियों/सम्पत्तियों का लेखा तैयार करना।
2. संसद के आय—चय का हिसाब—किताब रखना।
3. संसद के आय—चय का वार्षिक विवरण तैयार कर प्रबन्धक/महामंत्री को देना।
4. संसद के लेखों की जाच लेखा परीक्षक से कराना।
5. संसद का सदस्यता अधिकारी असेंट भरती में जगा करना।

सत्य प्रतिलिपि

इसे रहस्य प्रतिलिपि
की सोलाई एवं विषय
काष्ठसी वापर वारपरी

१२.१.२०२२

६. संस्था के आकर्षित कार्य हेतु 1000/- रुपये तक नकद अपने पास रखना और इससे अधिक धनराशि होने पर उसे तत्काल संस्था के कोष में जमा करना।

10. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-

साधारण तभा के दो तिहाई बहुमत से संस्था के नियमों एवं विनियमों ने नियमानुसार संशोधन एवं परिवर्तन किया जायेगा। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि रजिस्टर कर्म एवं सोसाइटीज को 10 दिन के अन्दर भेजनी होगी।

11. संस्था के कोष एवं सम्पत्ति :-

किसी भी स्थानीय चाष्टीयकृत बैंक या पोस्ट अफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर संस्था की समस्त धनराशियों को जमा किया जायेगा, जिसका संचालन प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।

12. संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण :-

संस्था के वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा नियमत आय-व्यय निरीक्षक द्वारा संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) कराई जायेगा।

13. संस्था द्वारा अधिका उसके प्रियकृत अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्व :-

संस्था द्वारा अधिका उसके प्रियकृत अदालती कार्यवाही का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अपार्टमेंट पर होगा।

14. संस्था के अमिलेख :-

१. Sanyog Kumar
कैम्प उपायुक्त
राम देव

2. Sumon Singh
कैम्प उपायुक्त
राम देव

15. संस्था के विघटन :-

Sumon Singh
कैम्प उपायुक्त
राम देव

सत्य प्रतिलिपि

दिनांक 16/11/10

इस विवरण विवरण
की सोसाइटी एवं विवरण
साध्यकी वर्तन वापरकी

सत्य-प्रतिलिपि

संस्था का
प्रतिलिपि का
विवरण का

प्रतिलिपि

संस्था का

5-1-2-2